आयुष्मान भारत

प्रमुख बिंदु

- **लॉन्च:** वर्ष 2018
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करना
- **घटक:** आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
- **पात्रता:**
  - **ग्रामीण एवं शहरी:** सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा पर आधारित श्रेणियाँ
  - 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक
- **लाभ:**
  - PM-JAY के तहत परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपए तक मिलते हैं
  - AAM व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हैं

आयुष्मान भारत के बारे में

- वर्ष 2018 में शुरू किया गया **आयुष्मान भारत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** की सिफारिशों के अनुरूप है।
- यह पहल **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप है**, जिसका उद्देश्य व्यापक **सतत् देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों** पर **स्वास्थ्य सेवा पहुँच** में सुधार करना है।
- आयुष्मान भारत में दो परस्पर संबंधित घटक शामिल हैं:
  - **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** (पूर्व में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र या AB-HWC) और **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) क्या है?

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandirs- AAM)** स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं, जिनमें निवारक, प्रोत्साहनात्मक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल शामिल हैं।
- स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के लिये, ग्रामीण और शहरी दोनों मौजूदा **उप स्वास्थ्य केंद्रों (SHC)** तथा **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु उन्नत** किया जा रहा है।

//

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) क्या है?

- **परिचय:**
  - **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- AB PM-JAY) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल** के लिये प्रतिवर्ष प्रति परिवार **5 लाख रुपए** तक की बीमा राशि प्रदान करती है।
  - AB PM-JAY के अंतर्गत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं है, जिससे सभी लाभार्थियों के लिये समावेशिता सुनिश्चित होती है।
    - इसके अतिरिक्त **पहले से मौजूद बीमारियों को भी** पहले दिन से ही कवर किया जाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **व्यापक कवरेज: PM-JAY** 27 विशेषताओं में **1,949 चिकित्सा प्रक्रियाओं को** कवर करता है जिसमें **निःशुल्क दवाएँ, निदान, भोजन, आवास** और **अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों की दवा शामिल है।**

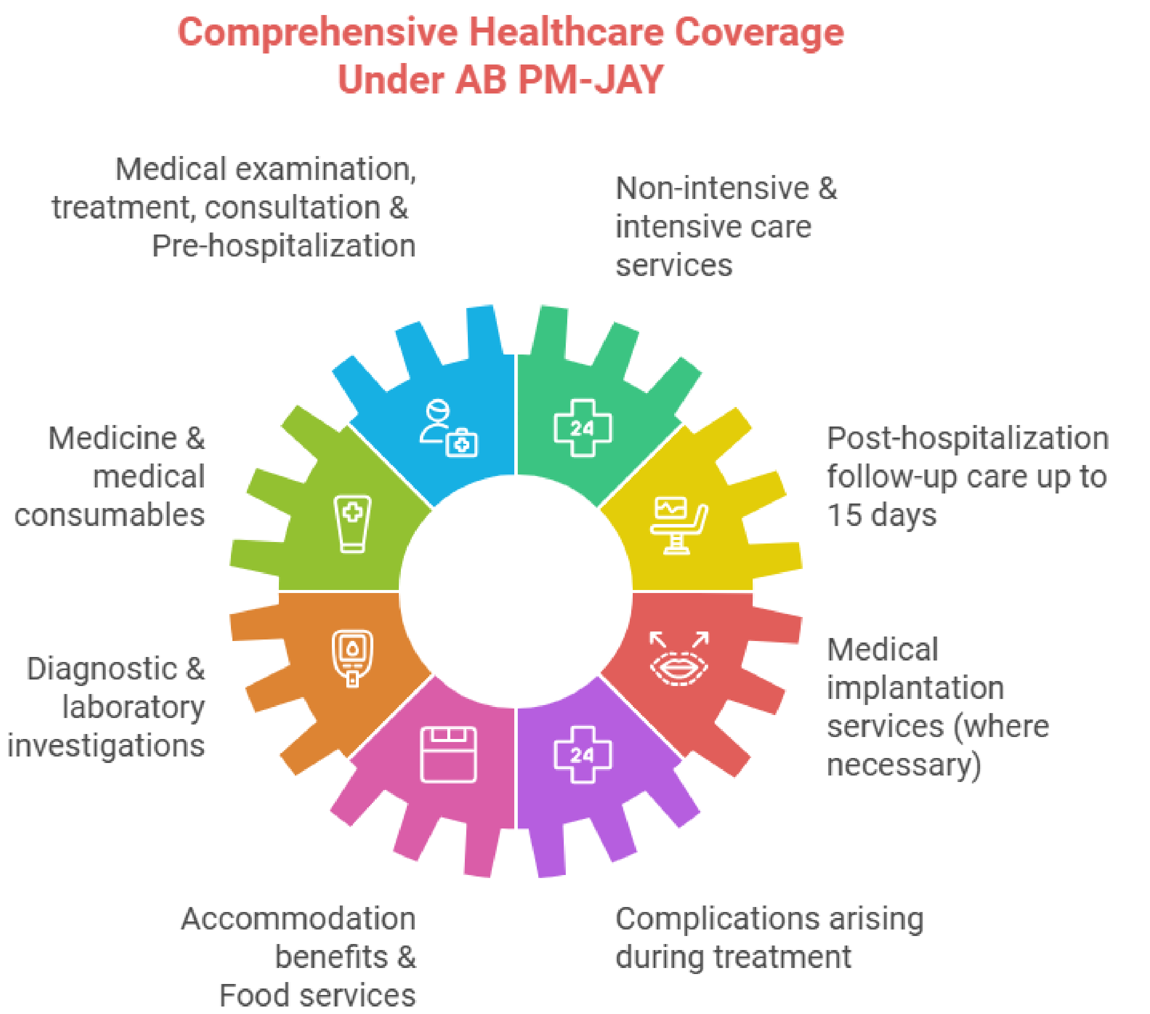

- **पात्रता एवं लाभार्थी पहचान:** इसमें शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (Socio-Economic Caste Census- SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों** पर आधारित हैं।
  - **ग्रामीण लाभार्थियों के लिये पात्रता:** PM-JAY उन परिवारों को कवर करता है जो छह अभाव मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा करते हैं, जिनमें निराश्रित परिवार, मैनुअल स्कैवेंजर, आदिम जनजाति समूह और कानूनी रूप से रिहा किये गए बंधुआ मज़दूर शामिल हैं, साथ ही विशिष्ट जीवन स्थितियों वाले या वयस्क सदस्यों की कमी वाले लोग भी शामिल हैं।
  - **शहरी लाभार्थियों के लिये पात्रता:** PM-JAY 11 व्यावसायिक श्रेणियों के लाभार्थियों को शामिल किया गया है जिनमें कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, मोची, फेरीवाले आदि शामिल हैं।
- **कैशलेस और पेपरलेस प्रक्रिया:** लाभार्थी बिना किसी खर्च के निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना कैशलेस और पेपरलेस मॉडल पर आधारित है।
  - अस्पताल के खर्चों को योजना के माध्यम से सीधे कवर किया जाता है तथा धनराशि को पैनलबद्ध अस्पतालों को निर्बाध रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- **निगरानी और जवाबदेही:** PM-JAY को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है, जिसका प्रबंधन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA)** द्वारा किया जाता है।
  - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** इस कार्यक्रम की देखरेख करता है तथा दुरुपयोग, धोखाधड़ी और अधिक शुल्क वसूली को रोकने के लिये जाँच स्थापित करता है।
  - नियमित **ऑडिट और डिजिटल निगरानी प्रणालियाँ** निधि उपयोग तथा सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

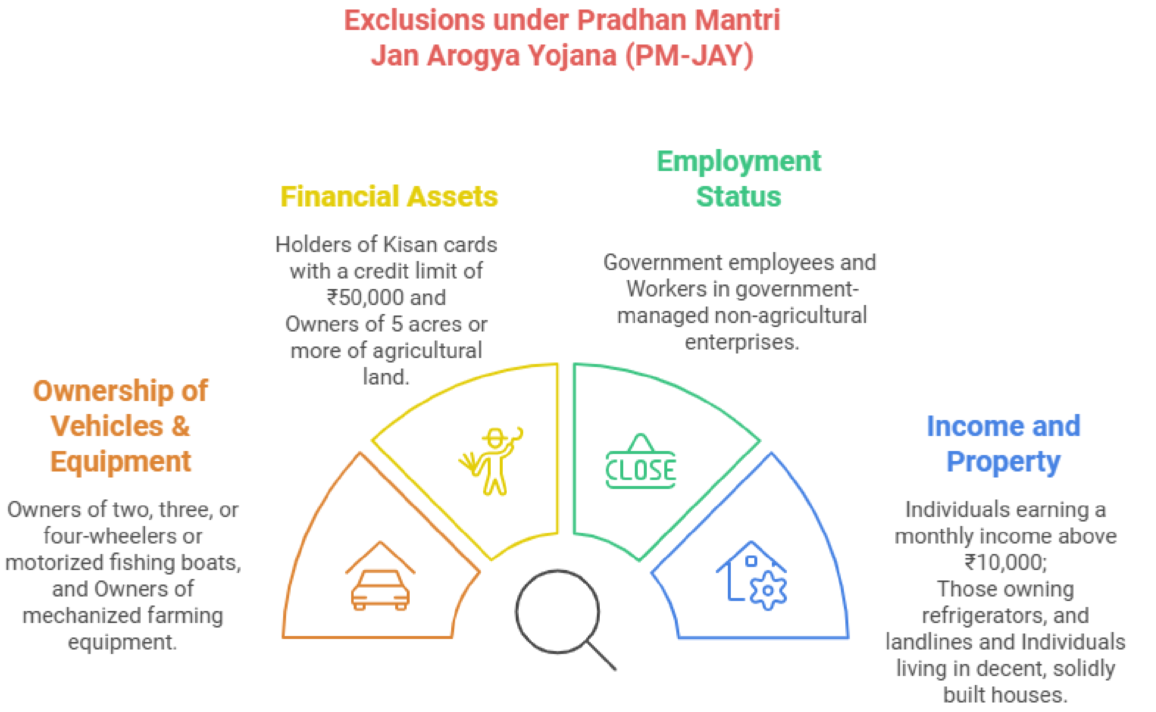

वरिष्ठ नागरिकों के लिये AB PM-JAY

- **परिचय:**
  - वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **70 वर्ष और उससे अधिक** आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किये बिना **5 लाख रुपए** तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिये **AB PM-JAY के एक बड़े विस्तार को मंज़ूरी** दी।
- **प्रमुख विकास:**
  - **नया विशिष्ट कार्ड: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY** योजना के तहत निःशुल्क अस्पताल उपचार तथा एक अलग **आयुष्मान वय वंदना कार्ड** मिलेगा।
  - **टॉप-अप कवरेज:** AB PM-JAY-आच्छादित परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा, जो केवल उनके लिये होगा, तथा उन्हें 70 वर्ष से कम आयु के अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ इसे साझा नहीं करना होगा।
  - **पारिवारिक कवरेज:** मौजूदा **AB PM-JAY** परिवार योजना के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक प्राप्त होंगे।
  - **योजनाओं का विकल्प:** अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में पहले से नामांकित वरिष्ठ नागरिक अपनी वर्तमान योजना जारी रखने या AB PM-JAY में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।
  - **निजी बीमा के साथ पात्रता: निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना** के तहत कवरेज वाले वरिष्ठ नागरिक भी AB PM-JAY के तहत लाभ के लिये पात्र हैं।

आयुष्मान भारत को समर्थन देने के लिये अन्य पहल क्या हैं?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):

- वर्ष 2021 में लॉन्च किये गए **ABDM का** उद्देश्य भारत के लिये एक डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा तैयार करना, स्वास्थ्य डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, समानता और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
  - यह प्रमुख योजना वर्ष 2021-2022 से 2025-2026 तक 5 वर्षों के लिये **1,600 करोड़ रुपए** के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।

दृष्टि The Vision

Core Goals of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)

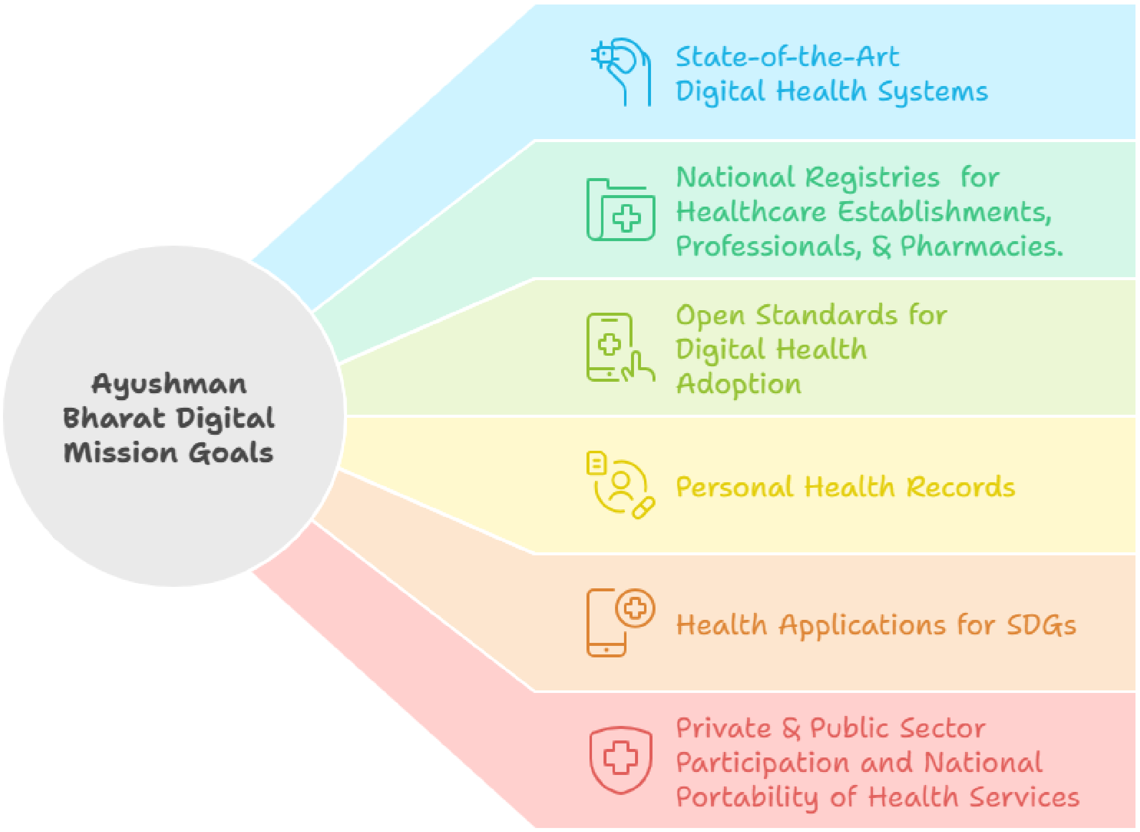

- **ABDM के घटक:**
  - **ABHA नंबर (विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र): ABDM की प्रमुख पहल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA)** का निर्माण है, जो प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय 14-अंकीय संख्या प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच और साझाकरण सरल हो जाता है।
    - यह सुरक्षित और सटीक स्वास्थ्य डेटा सुनिश्चित करता है, जनसांख्यिकीय तथा संपर्क विवरण एकत्रित करता है, तथा आसान अद्यतन के साथ उपलब्ध कराता है।
  - **ABHA मोबाइल एप (व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड- PHR):** ABHA **एप** उपयोगकर्त्ताओं को ABHA का एड्रेस बनाने, स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक करने और डेटा साझा करने के लिये सहमति प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।
- **अन्य घटक: हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (Healthcare Professionals Registry- HPR)** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य पेशेवरों को भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है, जबकि **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (Health Facility Registry- HFR)** सेवा समन्वय और एकीकरण को बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं को सूचीबद्ध करती है।
- **तकनीकी सहायता:** पहचान सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन और स्वास्थ्य डेटा के सुरक्षित भंडारण के लिये भारत के मौजूदा **डिजिटल बुनियादी ढाँचे (आधार, UPI, JAM ट्रिनिटी) का लाभ प्राप्त करता है।**
  - डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिये **AI, IoT, ब्लॉकचेन** और **क्लाउड कंप्यूटिंग** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
- **महत्त्व:**
  - मज़बूत डिजिटल अवसंरचना स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सेवाओं के सुव्यवस्थित प्रबंधन का समर्थन करती है, जिससे पेपरलेस लेनदेन और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन संभव होता है।
  - AB-PMJAY जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण एक निर्बाध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।

आयुष्मान भव अभियान

- **परिचय:**
  - **आयुष्मान भव अभियान वर्ष 2023** में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य पूरे भारत में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।
  - **आयुष्मान भारत कार्यक्रम** के साथ संरेखित यह पहल, सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करते हुए, **पूरे देश के**

दृष्टिकोण के माध्यम से **UHC** प्राप्त करने पर केंद्रित है।

- **अभियान के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:**
  - **आयुष्मान आपके द्वार 3.0:** AB-PMJAY के तहत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करना।
  - **आयुष्मान मेले: स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (Health and Wellness Centres- HWC)** और **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (Community Health Centres- CHC)** पर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएँ, ABHA ID निर्माण और विशेषज्ञों के साथ टेली-परामर्श प्रदान किया जाता है।
  - **आयुष्मान सभाएँ:** गाँवों और पंचायतों में सामुदायिक सभाएँ आयोजित कर आयुष्मान कार्ड वितरित किये जाएंगे, ABHA ID बनाई जाएगी तथा स्वास्थ्य योजनाओं और बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

आयुष्मान भारत की उपलब्धियाँ

- **AB PM-JAY:** सितंबर 2024 तक, AB PM-JAY ने पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके तहत**35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड** जारी किये गए हैं।
  - यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है।
- **प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:**
  - **अस्पताल में भर्ती**: 7.79 करोड़ अस्पताल में भर्ती के लिये 1,07,125 करोड़ रुपए का वित्तीय कवरेज।
  - **लैंगिक समानता: 49%** आयुष्मान कार्ड महिलाओं को जारी किये गए हैं, जिनमें से 3.61 करोड़ महिलाएँ अस्पताल में भर्ती हैं।
  - **पोर्टेबिलिटी:** पोर्टेबिलिटी सुविधा के अंतर्गत 3,100 करोड़ रुपए मूल्य के 11.9 लाख अस्पताल में भर्ती मामलों को अधिकृत किया गया, जिससे लाभार्थियों को भारत में कहीं भी उपचार प्राप्त करने में सुविधा होगी।
  - **विस्तृत नेटवर्क:** 30,529 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 17,063 सार्वजनिक और 13,466 निजी अस्पताल शामिल हैं, जो देश भर में व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज सुनिश्चित करते हैं।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर: सितंबर 2024 तक,** देश भर में कुल **1,74,453 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित** थे।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** सितंबर 2024 तक, ABDM ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं, जिसमें**66.70 करोड़ ABHA खातों का निर्माण** और इन खातों में 42.01 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ना शामिल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ayushman-bharat-28